बकाया पोर्टफोलियो के अनुसार दी गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति के अनुसार	कुल बकाया ऋण और निवेश
31.03.1994	3755.30
31.03.1995	3931.20
31.03.1996	4425.31

तथापि बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत संघटकों के बारे में सूचना प्रगट नहीं की जा सकती है।

(ग) जी नहीं। आई डी बी आई ने सूचित किया है कि सावधि ऋण का संवितरण सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा ऋण स्वीकृति से संबंधित विभिन्न पूर्व संवितरण की विशेष शर्तों तथा अन्य शर्तों के अनुसार प्रवर्तक के अनुरूपीय अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) आई डी बी आई सामान्य शर्तें निर्धारित करता है, जो सभी मामलों में समान रूप से लागू होती हैं। अलग-अलग मामलों के आधार जहां यह महसूस किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और चलाने अर्थात प्रबंधन को सुदृढ़ करने, मशीनरी सप्लायरों, सहयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादन गारंटी, आदि के लिए विशेष ध्यान देने / शर्तें रखने की आवश्यकता है, वहां पर विशेष शर्तें निर्धारित की जाती है।

प्रश्न के भाग (क) से (घ) के संबंध में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू टी आई) से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुमत जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Evasion of Income Tax by Reliance Industries

881. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income Tax Department has discovered that Reliance Industries has evaded income tax to the tune of Rs. 80 crore;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to set up a committee with representatives of the Central Bureau of Investigation, Revenue Intelligence, Securities and Exchange Board of India and Income Tax authorities to further investigate the case as the case involves share transactions?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Income Tax Department has raised a demand aggregating to Rs. 76.25 crores on the 23 satellite companies of Reliance Industries Ltd. relating to the Assessment Year 1993-94.

(c) At present there is no proposal to set up a committee with representatives of CBI, Revenue Intelligence, SEBI & Income Tax authorities.

यात्री विमान सेवाओं में सुधार

882. श्री एस.एस. सुरजेवालाः
श्री अजीत जोगीः

क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान यात्री विमान सेवाओं में सुधार, विमान-बेड़े के बेहतर उपयोग, विमानों के रख-रखाव और विमान सेवा-प्रचालन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विमानन-क्षेत्र की आय-व्यय की स्थिति में होने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों कम्पनियां अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से कदम उठा रही हैं।

बेहतर राजस्व वापसियों के लिए एयरबस-320 विमान में एक्जीक्यूटिव श्रेणी शुरू करना, विलम्बों के संबंध में कड़ी निगरानी, उन्नत ग्राहक अभिविन्यास तथा बेहतर उड़ानगत सेवा, कुछेक ऐसे कदम हैं जिन्हें इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाया जा रहा है।

एयर इंडिया ने अपनी क्षमता में बढ़ोतरी की है और नए गंतव्य शामिल किए गए हैं। समयबद्ध निष्पादन पर बल, उड़ानगत और भूमि पर सेवाओं का उन्नयन कुछेक ऐसे कदम हैं जो एयर इंडिया द्वारा यात्री सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से उठाए गए हैं।

(ख) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किन्हीं निधियों का आवंटन नहीं किया है।

(ग) यह प्रत्याशित है कि इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की राजस्व में हानि अगले 2-3 वर्षों में कम हो जाएगी। तथापि, अगले 2-3 वर्षों में इन दोनों विमान कम्पनियों की हानि / लाभ के बारे में कुछ बताया जाना समय-पूर्व बात होगी।

Projects for Promotion of Tourism in Gujarat

883. SHRI ANANTRAY DEV-
SHANKER DAVE: SHRIMATI
URMILABEN CHIMANBHAI
PATEL:

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the number of projects for promotio of Tourism in Gujarat State approved during the Seventh Five Year Plan and the amount sanctioned therefor;

(b) the places where these projects were proposed to be implemented;

(c) the names of the projects which have been completed and the expenditure incurred on each projects so far;

(d) the time by which the remaining projects are likely to be completed; and

(e) the number of projects for promotion of tourism in the State submitted by the State Government during the Eighth Five Year Plan and the amount allocated therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANT JENA): (a) to (d) During Seventh Five Year Plan the Central Department of Tourism provided assistance to the State Government of Gujarat for 17 projects and sanctioned a sum of Rs. 236.33 lakhs.

The details of these projects are given below:—

SI. No.	Name of the project/schemes	Amount sanctioned	Amount released (Rs. ir	Status lakhs)
1.	Haveli cottages at Ahmedpur Mandvi Beach	21.02	15.00	Completed
2.	Cafetaria at Dwarka	6.28	5.00	Dropped by State Govt.
3.	Cafetaria at Somnath	5.00	4.50	Completed
4.	Construction of 25 beach cottages Nargole, Bulsar District	30.17	25.00	Under litigation